



147

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर
बीन प्रकरण - 1686/2015 प. क्र. / 15 निबन्धनी 1686-J-15

1. कप्तान सिंह पुत्र अमर सिंह
2. रणजीत सिंह पुत्र अमर सिंह
3. वदन सिंह पुत्र बलराम सिंह
4. रामसिंह पुत्र लालसिंह फौत द्वारा वारिसान

श्री राम सेवक शर्मा द्वारा आज दि. 25-6-15 को प्रस्तुत

25-6-15
वेलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अभिलाखा सिंह

5. रामेश्वर सिंह पुत्र परमाल सिंह

6. राजेन्द्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह

7. संसृत जाति ठाकुर निवासी ग्राम कोरमी तहसील मेहगाँव जिला भिंड म.प्र.

— आवेदकगणा

महाराजगण (82)

22-6-22

आ. 5-5 एकेर फौत 30 वर्ष
वादिना 7-
1- अ. सुन्दर सिंह पुत्र अमर सिंह उम्र 36, 34, 31
9- वलराम सिंह पुत्र अमर सिंह उम्र 36 वर्षीय
5 बलराम सिंह कोरमी तहसील
कोरमी तहसील
आदेश दि. 19-8-16 के अन्तर्गत
उशासन मंत्रालय द्वारा

27
19-8-16

विह

1. कल्याण सिंह पुत्र सुकुम्हेर सिंह
2. भूरे सिंह फौत द्वारा वारिस श्रीमती मुन्नी देवी बेवा भूरे सिंह
3. धारम सिंह पुत्र भूरे सिंह, उम्र 35 साल
4. मंगल सिंह पुत्र भूरे सिंह उम्र 30 वर्षीय
5. जानन्द सिंह पुत्र भूरे सिंह उम्र 23 वर्षीय
6. उदल सिंह फौत द्वारा वारिस बेवा महिला ग्वा दुलारी बेवा उदल सिंह
7. सुरेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह पुत्रगणा उदल सिंह
8. अशोक पुत्र रामनाथ सिंह
9. होतम पुत्र रामनाथ सिंह
10. नरोत्तम पुत्र रामनाथ सिंह

11. राकेश पुत्र रामनाथ सिंह

12. वंशी सिंह पुत्र बदन सिंह

13. गिराज सिंह पुत्र केदार सिंह

14. गिरधारी सिंह पुत्र केदार सिंह

15. मु. बदन श्री बेवा केदार सिंह

सम्मत जाति ठाकुर निवासी ग्राम गोरमी

तह. गोरमी जिला भिण्ड म.प्र.

— अनावेदकगणा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 के अन्तर्गत म.प्र.भू.रा.स. 1959 विरुद्ध
आदेशा दिनांक 20.5.15 द्वारा पारित न्यायालय तहसीलदार
गोरमी प्र.क्र. 16/13-14 अ- 27 कप्तान सिंह विरुद्ध कल्याण सिंह
के निष्पत्ति से दुखी होकर ।

श्रीमान जी,

आवेदक की निगरानी तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-


1. यह कि, अनावेदकगणा द्वारा एक आवेदन पत्र म.प्र.भू.रा.स. 1959
की धारा 178 के तहत छाता क्रमांक 110 के सम्बंध में तहसील
न्यायालय के सम्मति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारा बटवारा
कर दिया जाये । जिसमें हम आवेदकगणों को नोटिस जारी किये
गये आवेदक रंजीत सिंह द्वारा उक्त बटवारे के तहत आपत्तिपत्र
प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत बटवारे आवेदन पत्र में धारा
178 के अन्तर्गत, के अनुसार आवेदन पत्र में बटवारा कराये जाने
वाले सर्वे नम्बर व उनका रकबा उल्लेख करना आवश्यक है बटवारा
नियम । बी व । सी में तहसीलदारों के नाम और उनके पृथक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1686-एक/15

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>